भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 466
03 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

तमिलनाडु में निर्माण क्षेत्र पर इस्पात की बढ़ती कीमतों का असर

466. श्री ससिकांत सेंथिलः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2026 की शुरुआत से इस्पात उत्पादों की कीमतों में हुई भारी वृद्धि का संज्ञान लिया है, जिसमें 5,000 रुपये से 8,000 रुपये प्रति टन तक की बढ़ोतरी शामिल है, जिससे तमिलनाडु के निर्माण उद्योग पर, विशेषकर तिरुचिरापल्ली में, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कुछ इस्पात उत्पादों पर 11 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाने के हालिया निर्णय से घरेलू बाजार में कीमतों की वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का विचार इस्पात की कीमतों को स्थिर करने और बुनियादी ढांचा तथा आवास परियोजनाओं को लागत वृद्धि से बचाने के लिए कोई उपाय करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस्पात की कीमतें बाजार की मांग और आपूर्ति की गतिशीलता, इस्पात कंपनियों की इनपुट लागत और प्रचलित करों/शुल्कों द्वारा निर्धारित होती हैं। सरकार देश में लघु और मध्यम उत्पादकों सहित इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए एक अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करके एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है।

निर्माण उद्योग मुख्य रूप से सामान्य निर्माण गतिविधियों के लिए लॉन्ग प्रोडक्ट्स का उपयोग करता है। सरकार ने घरेलू स्टील उद्योग के हितों की रक्षा के लिए टैरिफ शीर्षक 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 और 7226 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर, भारत में गैर-मिश्रधातु और मिश्रधातु इस्पात "फ्लैट प्रोडक्ट्स" के आयात पर तीन साल की अवधि के लिए 'सेफगार्ड ड्यूटी' लगाई है। सेफगार्ड ड्यूटी की दर इस प्रकार है:-

i. दिनांक 21 अप्रैल, 2025 से 20 अप्रैल, 2026 तक की अवधि के दौरान आयात किए जाने के मूल्यानुसार 12 प्रतिशत;
ii. दिनांक 21 अप्रैल, 2026 से 20 अप्रैल, 2027 तक की अवधि के दौरान आयात किए जाने के मूल्यानुसार 11.5 प्रतिशत;
iii. दिनांक 21 अप्रैल, 2027 से 20 अप्रैल, 2028 तक की अवधि के दौरान आयात किए जाने के मूल्यानुसार 11 प्रतिशत।

******